

रंगूनवाला फाँडेशन (इंडिया) ट्रस्ट

सतर्क

मरीज हक अभियान

मरीजों के 5 अधिकार

• वैदकीय सेवा प्राप्त करने का अधिकार



• आपातकालीन / अकस्मात केस में इलाज प्राप्त करने का अधिकार



• जानकारी का अधिकार




• एच.आई.वी - एड्स बाधित मरीजों के इलाज का अधिकार



• शिकायत के निवारण का अधिकार



पीले राशन कार्ड



गरीबी रेखा से नीचे

मुफ्त!

या

- वार्षिक उत्पन्न रूपये 180000 तक
- मुफ्त में इलाज
- खाट पर 10% आरक्षण (ट्रस्ट अस्पताल)
- ट्रस्ट अस्पताल में फ्री फॉर्म वें करे



नारंगी राशन कार्ड




आर्थिक रूप से कमजोर

50%

या

वार्षिक आमदनी रुपए 1,80,001-3,60,000

- इलाज में रियायत खर्च
- खाट पर 10% आरक्षण (ट्रस्ट अस्पताल)
- ट्रस्ट अस्पताल में *रियायति* फर्मा मांग करे



• नियमानुसार ट्रस्ट अस्पताल में 10% आरक्षण की सुविधा कर्मचारियों या उनके रिश्तेदारों के लिए उपलब्ध नहीं है।

अस्पताल में निम्नलिखित निधि होती है



सरकारी अस्पताल में
पी. बी. सी. एफ फण्ड

ट्रस्ट अस्पताल में
आय.पि.एफ फण्ड




हॉस्पिटल में कौनसी सेवाए मुफ्त दी जानि चाहिए?

बेड



वैदकीय सेवा



चादर



पानी

नर्स द्वारा देखभाल



हाउस कीपिंग



लाइट




हॉस्पिटल जाते समय निम्नलिखित कागजात साथ रखे




1. आमदनी का पत्र (तहसीलदार द्वारा दिया गया पत्र)
2. राशन कार्ड (पीला / नारंगी)

कागजात


सरकारी / ट्रस्ट हॉस्पिटल से सुविधाएँ प्राप्त करने के लिए



डॉक्टर से मिले




हॉस्पिटल के समाज सेवक से मिले



रिययथि / फ्री फॉर्म भरे



वैउदकिय सेवा प्राप्त करे



टाटा हॉस्पिटल में



फाइल
एन. सी.
(N.C.)
करे

मरीज़ का
इलाज मुफ्त
या रियायती
दरों पर होता
है


रेल / बस के
किराए में रियायत



३० मरीज़ों के
लिए रहने की
व्यवस्था

वैदकीय परिक्षण
रियायत शुल्क में
उपलब्ध होती है

आपातकालीन / अकस्मात केस में इलाज प्राप्त करने का अधिकार



Rs. 700/-

Emergency Free
Ambulance-108
Railway Helpline 182



जानकारी का अधिकार



बीमारी का कारन ?



इलाज का खर्च ?
इलाज का खर्च

इलाज ?
परिणाम ?

दुसरे
डॉक्टर से
राय ले






• एच.आई.वी -एड्स बाधित मरीजों के इलाज का अधिकार




गोपनीयता
का अधिकार



शिकायत के निवारण का अधिकार



डॉक्टर से संपर्क करे



समाज सेवक से संपर्क करे





शिकायत के निवारण का अधिकार

चिकित्सा
परिषद्

नागरी
न्यायालय

चैरिटी
कमिशनर
02224976422



मुद्दे

- **4 ट्रस्ट अस्पताल में ईपीएफ फंड की निकासी**

- 1) हीरानंदानी हॉस्पिटल
- 2) लीलावती हॉस्पिटल
- 3) जसलोक हॉस्पिटल
- 4) ब्रीचकैंडी हॉस्पिटल

- सरकारी अस्पताल में डायग्नोस्टिक सेवाओं का निजीकरण
- पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल (PPP)
- सरकारी अस्पताल में दवाओं की अनुपलब्धता
- Schedule H

महात्मा ज्योतिबा फुले जीवनदायी आरोग्य योजना

- महाराष्ट्र के सभी रहिवासी जिनके पास Antyodaya, Annapurna, पिला और केशरी राशन कार्ड हैं . Abhi Maharashtra Sarkar safed ration card ko bhi shamil kiya gaya hai.
- योजना के तहत 34 विशेषज्ञ सेवाओं के तहत 996 उपचार व शस्त्रक्रिया के लिये लाभ मिलता है
- इस योजना के तहत प्रति वर्ष प्रति परिवार १.५ लाख तक विमा संरक्षण मिलता है । किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सीमा २.५ लाख तक विमा संरक्षण मिलता है है
- महात्मा ज्योतिबा फुले योजना के तहत मरीज को निम्न लिखित सुविधा मिलती है
 - १) अस्पताल में इलाज
 - २) बिमारी के निष्कर्ष के लिये जरूरी जाच
 - ३) दवाईया
 - ४) खाना
 - ५) अस्पताल से घर जाने कि प्रवास सुविधा
 - 6)अस्पताल से रिहा होने के बाद १२१ बिमारीके लिये १० दिन के अंदर डिस्चार्ज फॉलो अप और यदी कॉम्प्लिकेशन है तो मुक्त इलाज
- इस सेवा का लाभ उठाने के लिये अस्पताल में जाते समय आमदनी का पत्र एवं राशन कार्ड आदीं. कागजाद साथ रखना जरूरी है
- सहाय्यता के लिये

टोल फ्री क्रमांक – १५५३८८ / १८००२३३२२०० ; (155388 ;18002332200)

रुग्णालय – आरोग्य मित्र

पत्ता – पो. बॉक्स क्रमांक १६५६५, वरळी पोस्ट ऑफीस, वरळी, मुंबई ४०००१८

संकेतस्थळ – www.jeevandayee.gov.in

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत : आरोग्य मंथन)

- यह योजना देश के नागरिकों के लिये है जिसमें गरीब और सुविधाओं से वंचित लोगों शामिल हैं
- योजना के तहत 1670 उपचार व शस्त्रक्रिया के लिये लाभ मिलता है
- या योजनेतर्गत लाभार्थी को प्रती कुटुंब , प्रती वर्ष ५ लक्ष तक विमा संरक्षण मिलता है
- आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीज को निम्नलिखित सुविधा मिलती है
1) रजिस्ट्रेशन चार्ज 2) बेड चार्ज (जनरल वॉर्ड) 3) नर्सिंग एवं रहने की व्यवस्था 4) डॉक्टर के जाच का खर्चा 5) अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्च 6) मरीज के इलाज सम्बन्धी अन्य सेवाये 7) दवाईया (अलगसे खर्चा न देना हो तो)

- शहरी भाग के लाभार्थी

1) कूड़ा उठाने वाला 2) घरेलू नौकर 3) सड़कों पर काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर / कॉबलर / हॉकर / अन्य सेवा प्रदाता 4) निर्माण श्रमिक / प्लंबर / मेसन / श्रम / पेंटर / वेल्डर / सुरक्षा गार्ड / कुली और अन्य सिर-लोड कार्यकर्ता 5) स्वीपर / स्वच्छता कार्यकर्ता / माली 6) घर-आधारित कार्यकर्ता / कारीगर / हस्तशिल्प कार्यकर्ता / दर्जी 7) परिवहन कर्मचारी / ड्राइवर / कंडक्टर / हेल्पर को ड्राइवर और कंडक्टर / गाड़ी खींचने वाला / रिक्शा खींचने वाला 8) दुकानदार / सहायक / छोटे प्रतिष्ठान में सहायक / सहायक / वितरण सहायक / परिचर / वेंटर 9) इलेक्ट्रीशियन / मैकेनिक / असेंबलर / मरम्मत कार्यकर्ता 10) वॉशर-मैन / चौकीदार

- अधिक जानकारी के लिये अस्पताल में आरोग्यमित्र से संपर्क करे

टोल फ्री क्रमांक - १४५५५/१८००११५६५ (14555; 1800111565)

संकेतस्थल - www.pmjay.gov.in



धर्मदाय अस्पताल के मरीजों के लिये

- 1) निर्धन एवं दुर्बल वर्ग के मरीजों के लिये मुख्यमंत्री सहायता निधी से सहाय्यता मिलने के लिये धर्मदाय अस्पताल ने अपने अस्पताल के लेटरपैड पे ठोस अक्षरों में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर नमूद करना जरूरी है ।
- 2) अस्पताल के खर्च के पत्र में IPF फंड की वर्तमान स्थिति की जानकारी होना जरूरी है ।

अस्पताल

सोशल वर्कर

आरोग्यमित्र

PBCF / IPF फंड कि
जानकारी

महात्मा ज्योतिबा फुले जण
आरोग्य योजना/ आयुष्मान
भारत कि जानकारी , मरीजो
के नाम सेवा में दर्ज करना



जिम्मेदारियां

